



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 15/05/2017

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-03/2015 खंड 339.....चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित उन प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित हैं, जिनका निर्वाचन देय है अथवा जिनके कुछ पद रिक्त रह गये हैं।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा अनुलग्नक-2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 22.06.2017 (गुरुवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति एवं उसके रिक्त पदों के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-211 दिनांक 28.03.2017 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 28.02.2017 निर्धारित की गयी है, तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक क्रमशः 27.04.2017 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 27.05.2017 (शनिवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है, लेकिन इस मतदान की अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से दिनांक 27.05.2017 को प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-ई० 1) में किया जायेगा।

जिन प्राथमिक कृषि साख समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 6 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : पटना/ दिनांक

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक :339..... पटना/ दिनांक 15/05/2017

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित नोडल पदाधिकारी (पैक्स चुनाव)/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि पैक्स चुनाव, 2014 की भाँति इस चुनाव में भी अपने स्तर से पर्यवेक्षकों (Observers) की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

11-5-17

निर्वाचन देय पैक्सों की सूची

अनुलग्नक-1

क्र.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम
1	मधुबनी	जयनगर	जयनगर पंचायत पैक्स लि०
2	मुंगेर	तारापुर	बेलाडीह पैक्स लि०
3	नालंदा	बिहार शरीफ	भैसासुर पैक्स
4	नालंदा	बिहार शरीफ	बड़ी पहाडी पैक्स
5	नालंदा	बिहार शरीफ	लोहगानी पैक्स
6	पटना	मनेर	मनेर नगर पैक्स
7	पटना	फुलवारी शरीफ	सोरमपुर पैक्स
8	पटना	फतुहॉ	फतुहॉ उतर नगर पंचायत कृषि साख समिति लि०
9	पूर्वी चम्पारण	ढाका	नगर पंचायत ढाका रामचन्द्र पैक्स
10	पूर्वी चम्पारण	हरसिद्धी	हरपुर राय पैक्स
11	रोहतास	कोचस	लहेरी पैक्स (मात्र अध्यक्ष एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष सदस्य के लिए)
12	रोहतास	करगहर	रामपुर पैक्स (मात्र SC/ST का महिला सदस्य तथा पिछड़ा वर्ग के महिला एवं पुरुष सदस्य के लिए)
13	सीतामढ़ी	बैरगनिया	बैरगनिया नगर पंचायत पैक्स
14	सीतामढ़ी	बैरगनिया	भकुरहर नगर पंचायत पैक्स
15	सारण	एकमा	भरहोपुर नगर पैक्स
16	जहानाबाद	मखदुमपुर	जगपुरा पैक्स (मात्र अध्यक्ष पद के लिए)
17	बेगूसराय	बेगूसराय सदर	हरख नागदह पैक्स
18	पूर्णियाँ	डगरुआ	अधकैली पैक्स (मात्र अध्यक्ष पद के लिए)

अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के
प्रबंधकारिणी समिति एवं उसके रिक्त पदों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	27.05.2017 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	12.06.2017 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	13.06.2017 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	14.06.2017 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	22.06.2017 (गुरुवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	22.06.2017 (गुरुवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

: